

Online



Laxman Das

अनुमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।
आदेश फलक

धारा-144 द०प्र०सं०

वाद संख्या 1671/2022

केलाश चन्द्र महली

- बनाम -

संगीना महली

09.11.2022 चूंकि आवेदक के आवेदन/थाना द्वारा प्राप्त अप्राथमिकी संख्या चक्रधरपुर थाना आवेदक आवेदन दिनांक 28.11.2022

के अवलोकन से मैं संतुष्ट हूँ कि प्रथम पक्ष के केलाश चन्द्र महली

द्वितीय पक्ष के संगीना महली - 05.12.2022

12.12.22

23.12.22

30.12.22

08.01.2023

07.01.23

नीचे वर्णित अनुसूची विवादग्रस्त भूमि आदि के दखल को लेकर शान्ति भंग होने की प्रबल सम्भावना है और इसकी रोकथाम तत्काल आवश्यक है। आवेदक के आवेदन से मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। विधि-व्यवस्था को बनाये रखने हेतु द०प्र०सं० की धारा-144 के तहत कार्रवाई आवश्यक प्रतीत होता है। इसलिए मैं धारा-144 द०प्र०सं० के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उभय पक्षों को विवादग्रस्त भूमि में जाने से और वहाँ किसी प्रकार का विघ्न डालने से सख्त निषेध करता हूँ। निर्देश दिया जाता है कारण-पृच्छा न्यायालय में दिनांक 18.11.2022 तक दाखिल करें।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा	चौहद्दी
<u>वास नं० 06</u>	-	<u>258</u>	<u>84</u>	<u>01 Dec 510 BK</u>	<u>पूर्व - Laxman Das</u> <u>पश्चिम - plot no 84</u> <u>उत्तर - Jagdish Mehta</u> <u>दक्षिण - Petitioner</u>

Laxman Das
09/11/22

अनुमण्डल पदाधिकारी,
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

18-11-2022

आभिकर्षक उपस्थानपत्र। नुडलीय पक्ष के सदस्य ① संगीता सहली उपस्थित। प्रथम पक्ष के आरोपों के आधिकारिकता द्वारा शरिजरी दी गई।

2nd party to file the written statement on Next date 28/11/2022

28-11-2022

आभिकर्षक उपस्थानपत्र। प्रथम पक्ष के आरोपों के आधिकारिकता द्वारा शरिजरी दी गई। नुडलीय पक्ष के आरोपों के आधिकारिकता द्वारा शरिजरी दी गई। पीठासन पक्षों द्वारा कार्य में व्यस्त है। आभिकर्षक दिनांक 05.12.2022 को उपस्थानपत्र करे।

05-12-2022

आभिकर्षक उपस्थानपत्र। प्रथम पक्ष के आरोपों के आधिकारिकता द्वारा शरिजरी दी गई। नुडलीय पक्ष के सदस्य ① संगीता सहली उपस्थित। पीठासन पक्षों द्वारा कार्य में व्यस्त है। आभिकर्षक दिनांक 12-12-2022 को उपस्थानपत्र करे।

12-12-2022

आभिकर्षक उपस्थानपत्र। प्रथम पक्ष के आरोपों के आधिकारिकता द्वारा शरिजरी दी गई। नुडलीय पक्ष के सदस्य संगीता सहली उपस्थित दी गई। कारण पृथक् (S1e) दाखिल किया। पीठासन पक्षों द्वारा कार्य में व्यस्त है। आभिकर्षक दिनांक 23-12-2022 को उपस्थानपत्र करे।

3-12-2022

पत्रां 495

दि. 23/12/22

आमनेल विचारपत्र / यथा यथा की को
ले आधिकारता हाण इतरादी इत गा,
दिलीय यथा व सदेन @ संगीता महेता उपस्थित /

both the parties were present.

Heard both the parties. Report

of Co does not clarify who
was in possession of land.

Co to report within 2 days
clearly as to who was in
possession of land. Attach the
written statement of ward parshad
and neighbouring people as to
who was in possession of land.

Next date 30/12/2022

(P)

23/12/2022

30-12-2022

आमिनेतुव रिपोर्टिण्ड। प्रथम पत्र ड आर
ले अधिकतम डारा धारिण्ड डी गड। रिडरिण्ड
पत्र ड लदलु ० संगीण्ड मडली रिप्लिण्ड।

पत्रां. 511
दि 31-12-22

Go to clearly report whether the
land in question in the case
is in possession of which
party. Go verify the information
with the neighbouring people ^{ward} ^{panhad}
corroborating with the ^{written} facts.
Next date 06/01/2023

@
30/12/22

06-01-2023

आमिनेतुव रिपोर्टिण्ड। सान्चिक कार एलोसिएशन
चक्रधरपुर डारा रिखित आवेदन पत्र डारा सुचित
रिडिण्ड गण्डा डी रि Court Fee संगीण्ड डलने
हेतु डारलण्ड डी समी अधिकतमगण्डा डी डरिण्डिण्ड
डारलण्ड Court डी वडिण्ड डलने डी डुण्डना
डरी गड डी। आमिनेतुव रिडिण्ड 07-01-2023
डी रिप्लिण्ड डरी।

07-01-2023

आमिनेतुव रिपोर्टिण्ड। सान्चिक कार एलोसिएशन
चक्रधरपुर डारा रिखित आवेदन पत्र डारा सुचित
रिडिण्ड गण्डा डी रि Court Fee संगीण्ड डलने
हेतु डारलण्ड डी समी अधिकतमगण्डा डी डरिण्डिण्ड
डारलण्ड Court डी वडिण्ड डलने डी डुण्डना डरी
गड डी।

09-11-23

व्यवस्थापक दफ्तरीय /

The case is dropped as it is
over the statutory time period of 2 months -

(R)
09/11/23